26/02/2021. वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण नोट प्रेस करने का एन.ए. पेपर करने पर पत्रावली मिलने से तलब की गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं सहमति स्वरूप अभिभाषक पर हस्ताक्षर कर दिये गये अतः प्रकरण नोट प्रेस में खारीज किया जाता है। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:40:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner